राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 11(3)ग्रावि/नरेगा/विविध/2013 जयपुर, दिनांक 25 JUN 2014

परिपत्र

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर प्रतिनियुक्ति/व्यक्तिगत संविदा/सेवा प्रदाता ऐजेन्सी के माध्यम से कार्यरत, मनरेगा योजना से वेतन/मानदेय प्राप्त कर रहे समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों एवं कार्मिकों के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण तथा कार्यकुशलता में वृद्धि करने के लिए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :–

1. **फोटोयुक्त परिचय पत्र की अनिवार्यता** :–
   (अ) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्मिकों के लिए एक फोटोयुक्त पहचान पत्र तैयार कराया जावे, जिस पर एमजीनरेगा छपा हुआ हो।
   (ब) मनरेगा योजना से वेतन एवं मानदेय प्राप्त कर रहे समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्मिकों को गहरे नीले या नेवी ब्ल्यू रंग के फीते में फोटोयुक्त पहचान पत्र गले में लटकाना अनिवार्य है।
   (स) एक फोटो पहचान पत्र एवं फीते की अधिकतम लागत 20/– रूपये से अधिक नहीं हो।

2. **ऑनलाईन उपस्थिति** :–
   (अ) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्मिकों की दैनिक उपस्थिति निर्धारित कार्यालय समय से पूर्व ऑनलाईन अंकित की जावे।
   (ब) समस्त महानरेगा कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक्स डिवाइस पर अंकित की जावे।

3. **<u>उत्तरदायित्व निर्धारण</u>** :–

(अ) समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्मिकों के उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु निर्धारित जॉबचार्ट के अनुसार दैनिक लक्ष्यों का निर्धारण किया जावे।

(ब) पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित की जावे तथा निर्धारित मानदण्ड पूर्ण नहीं करने वाले कार्मिकों की रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को प्रेषित की जावे।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कर जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस के माध्यम से साप्ताहिक रिपोर्ट मुख्यालय को प्रेषित की जावे।

आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
5. समस्त अधिकारी ईजीएस, मुख्यालय।
5. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
6. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, ईजीएस, समस्त राजस्थान।
8. श्री रिंकु छीपा को ई–मेल वास्ते।
9. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त (द्वितीय) ईजीएस